(विविध प्रकरण संख्या 258/2024
अनवान बगडावता वगैरह बनाम सरकार)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

## अर्न्त0 धारा 53 आर.टी.ए.

## बगड़ावता वगैरह बनाम सरकार

## !! संशोधित आदेश !!

दिनांक :–23.01.2025

प्रार्थी बगड़ावता पुत्र श्री वीरबल द्वारा जरिए वकील श्री दिनेश छावड़ा केएक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवदेन किया गया कि उपरोक्त अनवान का वाद माननीय न्यायालय द्वारा अन्तर्गत ध रा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दिनांक 08.05.2018 को निर्णय किया जाकर पक्षकाराण के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की गई थी। नक्ल निर्णय एवं डिक्री संलग्न है। निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2018 पारित किए जाते समय पक्षकारान के निवेदन पर वादी संख्या 3 सुशील कुमार के हिस्सा में आई भूमि मुरब्बा नं0 9 का किला नं0 1 में 18 बिस्वा 2 में 18 बिस्वां 9 सालम 10 सालम, 11 सालम 12 सालम, कुल 1.468 हैक्टेयर आई । इसके उपरांत पक्षकारान के ही निवेदन पर मुरब्बा नं0 11 में जाने के लिए माननीय न्यायालय के द्वारा मुरब्बा नं0 9 के किला नं0 1 में 0.0125 है0 किला नं0 10 में 0.0125 है0 तथा किला नं0 11 में 0.005 है0 कुल 0.030 है0 भूमि धारा 251 ए आर. टी. एक्ट के तहत रास्ता स्वीकृत करते हुए गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किए लेकिन टंकण की त्रुटि से वादी संख्या 3 सुशील कुमार के खाता में उक्त रास्ता की भूमि को कम न करते हुए वरन पूर्ण 1.468 है० भूमि विभाजन में आने का आदेश पारित किया गया जबकि गैर मुमकिन रास्ता की उक्त वर्णित किलाजात 1,10,11 की 0.030 है 0 भूमि का इंदराज खाता संख्या 1 में किया जाकर वादी संख्या 3 के नाम से 1.438 है0 भूमि का इंदराज निर्णय व डिक्री में किया जाना था। उपरोक्त त्रुटि टंकण की है एवं लिपिकिए भूल है। जिसे संशोधि त किया जाना आवश्यक है। निर्णय एवं डिक्री का आज दिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में इंदराज नही हुआ है। प्रार्थना पत्र सुनने का एवं निर्णित करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को हासिल हैं। लिहाजा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त अनवान की वाद पत्रावली को अभिलेखागार से तलब किया जाकर पेशी में लिया जावे एवं तदुपरातं प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2018 में उपरोक्तानुसार संशोधन करने के आदेश पारित किए जावे

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि हैं, जिसे धारा 151–152 सीपीसी के प्रावधानों के अर्न्तगत न्यायहित में संशोधित किया जा सकता है।

अतः प्रकरण संख्या 106/2023 शीर्षक बगड़ावता वगैर बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 के आदेश में " **वादीगण द्वारा विभाजन के दौरान मुरबा नम्बर 11 में जाने के लिए रास्ता की सहूलियत हेतु मुरबा नम्बर 9 के किला नम्बर 1, 10. . . . . तथा किला नम्बर 11 में 8.25गुणा 66 फीट गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है**" को दुरूस्त करते हुए मुरब्बा नं0 11 में जाने के लिए मुरब्बा नं0 9 के किला नं0 1 में 0.0125 है0, किला नं0 10 में 0.0125 है0 तथा किला नं0 11 में 0.005 है0 कुल 0.030 है0 भूमि धारा 251 ए आर. टी. एक्ट के तहत गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता की भूमि वादी संख्या 3 सुशील कुमार पुत्र शंकर लाल के रकबा में से कम की जाकर वादी संख्या 3 के नाम

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

से 1.438 हैक्टर भूमि का इन्द्राजात राजस्व रिकॉर्ड में किया जावे। शेष आदेश यथावत रहेगा। उक्त संशोधन आदेश को निर्णय/आदेश दिनांक 28.05.2018 एवम् डिक्री दिनांक 01.10.2018 का भाग पढ़ा जावे।

संशोधित आदेश आज दिनांक 23.01.2025 को लिखवाया जाकर उभयपक्ष को सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर